N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0276 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/11/2024 20:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:48 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/11/2024 **Time (समय):** 19:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/11/2024 20:28:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** police thana, sanchore

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** leelaram

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** dargaram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	sakad, SANCHOR, सांचोर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	sakad, SANCHOR, सांचोर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	kishnaram		पिता:bhalluram	1. vada bhadvi,BAGORA,सांचोर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों सिरोही विषय- लोक सेवक को बेद कार्य के लिये रिश्वत राशि लेने हेतु को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाने बाबत्। महोदयजी, मुझ प्रार्थी लीलाराम पुत्र श्री दरगाराम, जाति देवासी, निवासी ग्राम सांकड, तहसील सांचोर जिला सांचोर का निवेदन इस प्रकार हैं कि हमारे पड़ौसी मुकनाराम पुत्र रामचन्द्र राम बिष्नोई निवासी सांकड़ द्वारा मेरे व कृष्णकुमार व सांवलाराम के विरूद्ध पुलिस थाना सांचोर में मुकदमा संख्या 421/2024 दर्ज करवाया था, जिसकी तफ्तीष श्री किषनाराम मुंशीजी पुलिस चौकी सांकड थाना सांचोर द्वारा की जा रही है जिसमें मुझे व कृष्णकुमार को 25.10.2024 को गिरफ्तार करके हमारे से जबरदस्ती बरामदगी करके हमको जेल भेजा था जहां से 29.10.2024 को हमारी जमानत करवा दी गई। मेरे भाई सांवलाराम पुत्र जवानाराम को श्री किषनाराम मुंशीजी द्वारा आज थाने बुलाकर गिरफ्तार किया गया है, जो मेरे भाई सांवलाराम से बरामदगी नहीं की, उसका पुलिस रिमाण्ड नहीं लेने, आज ही जेल भिजवाने व हमारे कहने पर हमारे विपक्षी पार्टी को धारा 107 में पाबन्द करने की एवज में श्री किषनाराम द्वारा मुझे फान काल करके मेरे से 50,000 रूपये रिष्वत की मांग कर सांचोर बुला रहे है। अनाआवष्यक रूप से श्री किषनाराम मुंशीजी को रिष्वत राषि नहीं देना चाहता हूं। मेरी श्री किषनाराम मुंशीजी से परस्पर दुष्मनी नहीं है तथा न ही कोई रूपये-पैसों का लेन-देन बकाया है। जो मुझे फोन करके रूपयों की लेन-देन रिष्वत राषि की करने के लिए मुझे थाना सांचोर बुला रहा है। जो वेद कार्य के लिए रिष्वत राषि नहीं देना चाहता हुं। अतः रिपार्ट पेष करता हुं कि श्री किषनाराम मुंशाीजी को रिष्वत लेते हुए को पकड़कर उचित कानूनी कार्यवाही करावें। सही/- एसडी स्वतंत्र गवाहान लीलाराम पुत्र श्री दरगाराम उदयवीरसिंह पटवारी जाति देवासी, सुनील कुमार मीणाा पटवारी निवासी सांकड त.सांचोर जिला संाचोर [redacted] कार्यवाही पुलिस निवेदन है कि दिनांक 20.11.2024 की सुबह एसीबी कार्यालय सिरोही के बेसिक लैण्डलाईन 02972-221776 नम्बर पर शख्स श्री लीलाराम देवासी ने काॅल कर एसीबी से कार्यवाही करवाने की मंछा जताते हुए ट्रेप कार्यवाही की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी चाही गई जिस पर श्री लीलाराम से उसके व्यक्तिगत मोबाईल नंबर [redacted] प्राप्त किये जाकर ब्यूरो कार्यालय से मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस को श्रीमान अतिािरक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर शख्स श्री लीलाराम देवासी के मोबाईल नंबर साझा करते हुए मुझे बताया कि श्री लीलाराम देवासी के संपर्क में रहकर ट्रेप कार्यवाही की संभावना तलाषने एवं आवष्यक सूत्र सूचना संकलित कर परिवादी को ट्रेप कार्यवाही के लिए सद्प्रेरेरित करने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 26.11.2024 को मन कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मैं दिनांक 20.11.2024 से लगातार संपर्क में रहते हुए श्री लीलाराम देवासी से आज पुनः संपर्क वैधानिक रूप से जानकारी देते हुए ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु प्रेरित किया तो श्री लीलाराम देवासी ने बताया कि "मेरे भाई सांवलाराम के विरूद्ध पुलिस थाना सांचोर में दर्ज मारपीट के मामले में मेरे भाई सांवलाराम को गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ मारपीट नहीं करने की एवज में पुलिस थाना सांचोर के श्री किषनाराम हैडकानि. मुझ से पचास हजार रूपये की रिष्वत मांगकर परेषान कर रहा है, मैं उसको किसी प्रकार की रिष्वत राषि नहीं देना चाहता हुं, मैं श्री किषनाराम हैडकानि. को रिष्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं, श्री किषनाराम हैडकानि. ने यह भी बताया कि आपके भाई श्री सांवलाराम को आज ही पेष करना हैं, अगर तूं खर्चा पानी के पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे भाई सांवलाराम को रिमाण्ड पर ले लूंगा और उसके साथ मारपीट भी करूंगा और अगर खर्चा पानी के पैसों की व्यवस्था सांवला राम को आज पेष करने के साथ कर देगा तो सांवला राम को रिमाण्ड पर नहीं लेकर सीधा जेल भिजवा दूंगा, जहां से जमानत करवाने मे आपको सहूलियत रहेगी। इसलिए मेरे भाई श्री सांवलाराम को आज ही पुलिस थाना सांचोर में पेष करना होगा और आज ही श्री किषनाराम हैडकानि. मुझसे रिष्वती राषि की मांग करेंगे, मैं श्री किषनाराम हैडकानि. को रिष्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं, मेरे पास लिखित में षिकायत मौजुद है लेकिन मैं एसीबी कार्यालय सिरोही पर नहीं आ सकता क्यांेकि मेरे पास आज के दिन इतना वक्त नहीं है कि मैं पहले सिरोही आकर श्री किषनाराम हैडकानि. के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही के लिए एसीबी आॅफिस में रिपाॅर्ट दूं और फिर वापस सांचोर आकर मेरे भाई सांवला राम को पुलिस थाना सांचोर में पेष करूं, क्योंकि श्री किषनाराम हैडकानि. मेरे भाई सांवलाराम को आज जल्दी पेष करने का मुझ पर दबाव बना रहे है और बोल रहे है कि इसके कागज बनाकर कोर्ट में आज ही पेष करना है, इसलिए आज ही सांवलाराम के साथ में पच्चास हजार रूपये की व्यवस्था करके लेकर आना।" जिस पर श्रीमान

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल फोन नंबर [redacted] से परिवादी श्री लीलाराम देवासी के मोॅबाईल फोन नंबर [redacted] पर काॅल कर हालात जाने तो मन् कुयाराम निपु द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि हुई जिस पर परिवादी श्री लीलाराम देवासी को लिखित षिकायत अपने पास रखने एवं षिकायत की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देते हुए उसकी रिपाॅर्ट पर एसीबी सिरोही से अग्रिम कार्यवाही के लिए मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस के नेतृत्व में टीम भेजने का आष्वासन देकर अग्रिम कार्यवाही के लिए मुझ कुयाराम निरीक्षक पुलिस से संपर्क में रहकर सहयोग करने की पुनः हिदायत दी गई। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया कि परिवादी के टेलीफोनिक कथनों से मामला लोकसेवक द्वारा परिवादी से अवैध रूप से रिष्वत राषि का मांग करने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की जद में आना पाया जाने पर उनके कार्यालय कक्ष की अलमारी में से डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर डिवाईस निकालकर उसमें मैमोरी कार्ड लगा हुआ एवं खाली होना सुनिष्चित कर मुझ कुयाराम निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए परिवादी श्री लीलाराम देवासी से संपर्क कर उससे लिखित रिपाॅर्ट प्राप्त कर षिकायत का ब्यूरो कानि. श्री सुरेषदान नं. 470 के माध्यम से सत्यापन करवाकर परिवादी से आरोपी द्वारा मांगी जाने वाली रिष्वती राषि की मांग को रिकाॅर्ड करवाने की हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा के श्री चेलाराम हैडकानि. नं. 109 व श्री सुरेषदान नं.470 को पृथक से कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिए श्री चेलाराम हैड कानि. को ट्रेप बाॅक्स मय आवष्यक सामग्री के तैयार करने व श्री सुरेषदान कानि. नं. 470 को लैपटाॅप्स, हैडफाॅन, प्रिन्टर एवं अन्य आवष्यक स्टेषनरी सामग्री तैयार करने की हिदायत दी गई एवं प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में रिष्वती राषि का लेन-देन आज के रोज होने की प्रबल संभावना के चलते अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहों की आवष्यकता होने एवं समयाभाव व बाद में होने वाली किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही के नाम तहरीर जारी कर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर दो स्वतंत्र गवाहों को ट्रेप दल में शामिल कर परिवादी से संपर्क कर उससे लिखित रिपाॅर्ट प्राप्त कर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पढ़कर सुनाने, षिकायत का गोपनीय रूप से रिष्वती राषि मांग सत्यापन वार्तालाप डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर में रिकाॅर्ड करने व तदुपरांत की स्थिति के हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताने हेतू मन कुयाराम निरीक्षक पुलिस को पुनः हिदायत मुनासिब की गई। इस समय श्री लीलाराम देवासी ने अपने मोबाईल फाॅन नंबर [redacted] से मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस के निजी मोबाईल फाॅन नंबर [redacted] पर काॅल कर बताया कि "आपके एडिषनल एसपी साहब ने मुझे बताया है कि कुयाराम जी सीआई साहब आज आपके पास सांकड़ आकर आपकी रिपाॅर्ट पर श्री किषनाराम हैडकानि. के खिलाफ आगे की कार्यवाही करेंगे, तो आप मेरे पास यहां सांकड़ कितने बजे तक आ जाओगे" जिस पर मैंने बताया कि "आपकी षिकायत का सत्यापन करवाने के निर्देष एडीषनल एसपी साहब ने मुझे प्रदान किये है, मैं यहां से रवाना होने की अभी तैयारी ही कर रहा हूं, करीब दो बजे तक आपके पास सांकड़ पहुंच जाउंगा।" जिस पर परिवादी श्री लीलाराम देवासी ने बताया कि श्री किषनाराम हैडकानि. ने मुझे तीन बजे से पहले-पहले पैसे लेकर पुलिस थाना सांचोर में बुलाया है, आप जितना हो सके जल्दी आना।" जिस पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री लीलाराम को तीन बजे से पूर्व ही उसके पास पहुंचने की बात बताते हुए षिकायत की गोपनीयता बरतने बाबत् आवष्यक हिदायत दी गई। श्री रामेष्वर लाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री लीलाराम देवासी से संपर्क कर उसकी षिकायत का गोपनीय मांग सत्यापन रिष्वती राषि वार्तालाप रिकाॅर्ड करवाने के संबन्ध मंे मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस को प्रदत्त निर्देषों की पालना में प्राईवेट बुलाई जाकर ट्रेप कार्यवाही से संबन्धित आवष्यक सामग्री एवं उपकरण यथा ट्रेप बाॅक्स, लैपटाॅप्स, प्रिन्टर एवं अन्य आवष्यक स्टेषनरी सामग्री मय हैडफाॅन इत्यादि के साथ मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही से स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार मीणा एवं श्री उदयवीर सिंह पटवारीगण को मन् निरीक्षक पुलिस उक्त दोनों पटवारीगण को हमराह लेकर गोपनीय राजकार्य से एसीबी टीम के साथ सांकड़ जिला सांचोर चलने एवं उनको एसीबी दल में साथ लेने के प्रयोजन से अवगत करवाते हुए पटवारियों के साथी स्टाफ एवं अन्य किसी को एसीबी टीम के साथ सांकड़ जिला सांचोर जाने एवं वहां जाने के प्रयोजन के बारे में आवष्यक हिदायत दी गई। मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर, हमराह श्री चैलाराम हैडकानि. नं. 109, श्री सुरेषदान कानि.470 व श्री प्रमोद टैक्सी चालक व पटवारीगण श्री सुनील कुमार मीणा एवं श्री उदयवीर सिंह के जरिये टैक्सी गाड़ी ईनोवा क्रिस्टा त्श्र24ज्। 2865 मय ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री के तहसीलदार एवं कार्यपाल मजिस्ट्रेट सिरोही के कार्यालय से सांकड़ सांचोर को रवाना हुआ। मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान् के गांव सांकड़ से पूर्व परिवादी श्री लीलाराम देवासी से जरिये दूरभाष संपर्क कर उसके बताये गये स्थान के मुताबिक रानीवाड़ा से सांचोर जाने वाली सड़क के किनारे पहुंच टैक्सी गाड़ी खड़ी की तो उक्त सड़क के बायीं तरफ कच्चे रास्ते से मोटरसाईकिल पर एक शख्स आकर मिला जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने मन् निरीक्षक पुलिस को अपना परिचय श्री लीलाराम देवासी पुत्र श्री दरगाराम, जाति देवासी, उम्र 39 वर्ष, निवासी गांव सांकड़, पुलिस थाना एवं जिला सांचोर के रूप में दिया। जिस पर श्री लीलाराम देवासी को श्री किषनाराम हैडकानि. खिलाफ ट्रेप कार्यवाही के लिए लिखित रिपाॅर्ट प्रस्तुत करने को कहा तो परिवादी ने बताया कि यहां पास ही मेरे घर पर ताला बंद पेटी

में रखी हुई है, आप मेरे साथ मेरे घर ढ़ाणी पर चलिये मैं आपको उक्त रिपा ॅर्ट पेष कर देता हुं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान् के टैक्सी गाड़ी से मोटरसाईकिल सवार परिवादी ेक श्री लीलाराम देवासी के पीछे-पीछे कुछ ही दूरी पर अवस्थित परिवादी के घर ढाणी पर पहुंचा व हमराहियान को यथावत गाड़ी में बैठे रहने व अपने बारे में व अपने यहां आने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताने एवं यहां आने के उद्देष्य के बारे में किसी को कोई जानकारी साझा नहीं करने बाबत् आवष्यक हिदायत दी गई। परिवादी श्री लीलाराम देवासी के निवास पर पहुंचने पर परिवादी ने एक हस्तलिखित रिपा ॅर्ट मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस को पेष की जिसका अवलोकन किया गया तो जिसका मजमून उपरोक्तानुसार पाया गया। तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिपा ॅर्ट के महत्वपूर्ण अंषों को मन् निरीक्षक पुलिस से सुने जाकर परिवादी से उसके विरूद्ध पुलिस थाना सांचोर में दर्ज प्रकरण के बारे में विस्तृत पूछताछ कर मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी की षिकायत का सत्यापन परिवादी के साथ श्री सुरेष कुमार ब्यूरो कानि. नं. 470 भेजकर एसीबी के डिजीटल वा ॅईस रिका ॅर्डर में रिष्वती राषि का मांग सत्यापन वार्तालाप को रिका ॅर्ड करवाने के निर्देष प्रदान किये जाकर कार्यवाही से संबन्धित गोपनीयता बरतने की आवष्यक हिदायत दी गई। मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री लीलाराम देवासी से बमुकाम रहवासी ढाणी सरहद गांव सांकड़ में श्री किषनाराम हैडकानि. के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही करने की लिखित षिकायत प्राप्त कर षिकायत में वर्णित तथ्यों के संबन्ध में परिवादी से आवष्यक जानकारी हासिल कर परिवादी श्री लीलाराम देवासी द्वारा प्रस्तुत षिकायत का श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही के निर्देषानुसार गोपनीय सत्यापन का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री लीलाराम देवासी को टैक्सी गाड़ी ईनोवा क्रिस्टा में हमराह लिया जाकर परिवादी के रहवासी ढाणी से कस्बा सांचोर की तरफ रवाना हुआ। मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान् के उपरोक्त फिकरा का रवानाषुदा कस्बा सांचोर से पूर्व अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस वे पुल के नीचे पहुंच सड़क के बायें किनारे टैक्सी गाड़ी रोककर परिवादी श्री लीलाराम देवासी व श्री सुरेषदान कानि. नं. 470 को हमराह लेकर नीचे उतरा व शेष ब्यूरो दल के सदस्यों को टैक्सी गाड़ी में यथावत बैठे रहने की हिदायत देकर परिवादी व श्री सुरेषदान कानि. को एक तरफ शांत वातावरण में ले जाकर डिजीटल वा ॅईस रिका ॅर्डिंग डिवाईस को चालू-बंद करने एवं रिका ॅर्डिंग करने की प्रक्रिया के बारे में भली भांति समझाईष की जाकर वा ॅईस रिका ॅर्डिंग डिवाईस मय मैमोरी कार्ड ब्यूरो कानि. श्री सुरेषदान नं. 470 को बंद हालात में सुपुर्द करते हुए आरोपी की उपस्थिति के यथा नजदीकी पहुंच में जाकर वा ॅईस रिका ॅर्डिंग डिवाईस चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी से रिष्वती राषि की मांग वार्तालाप करने हेतु भेजने की आवष्यक हिदायत दी गई। परिवादी श्री लीलाराम देवासी को दौराने मांग सत्यापन वार्तालाप केवल संदिग्ध अधिकारी श्री किषनाराम हैडकानि. से रिष्वती राषि के बारे में ही कम शब्दों में वार्ता करने एवं आरोपी को खुलकर बालने देने, अन्य किसी व्यक्तियों से अप्रासंगिक वार्तालाप नहीं करने एवं बाद रिष्वती राषि मांग सत्यापन वार्तालाप पुनः इसी स्थान पर आने इत्यादि आवष्यक हिदायत दी जाकर वास्ते रिष्वती राषि मांग सत्यापन वार्तालाप हेतु परिवादी श्री लीलाराम देवासी व ब्यूरो कानि. श्री सुरेषदान नं. 470 को रवाना किये व मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस वहीं पास में खड़ी टैक्सी गाड़ी में पुनः सवार होकर हमराही ब्यूरो दल के साथ वहीं अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस वे पुल के नीचे परिवादी व श्री सुरेषदान कानि. के बाद मांग सत्यापन वार्तालाप कर आने के इंतजार में एक तरफ टैक्सी गाड़ी में मुकिम रहा। ब्यूरो कानि. श्री सुरेषदान नं. 470 व परिवादी श्री लीलाराम देवासी पूर्व निर्धारित स्थान पर हाजिर आये जिनसे मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस पूर्ववत्त एकांत में जाकर मिला तो श्री सुरेषदान कानि. ने े बंद हालात में डिजीटल वा ॅईस रिका ॅर्डर मन् नि.पु. को सुपुर्द करते हुए बताया कि आपके निर्देषानुसार यहां से परिवादी के साथ उसकी प्राईवेट कार में रवाना होकर कोर्ट परिसर सांचोर के बाहर पहुंच डिजीटल वा ॅईस रिका ॅर्डर चालू कर परिवादी श्री लीलाराम देवासी को सुपुर्द कर आरोपी से मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु भेजा तो श्री लीलाराम देवासी करीब एक घण्टे बाद मेरे पास आये जिनसे डिजिटल वा ॅईस रिका ॅर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे में लिया तब श्री लीलाराम ने मुझे बताया कि "मैं आपके पास से चालू हालात में डिजीटल वा ॅईस रिका ॅर्डर डिवाईस प्राप्त कर यहां से रवाना होकर सांचोर कोर्ट में पहं ुचा जहां पर मेरे भाई श्री सांवलाराम को कोर्ट में पेष करने के लिए श्री किषनाराम हैड साहब मिले जिन्होंने मेरे से पहले पचास हजार रूपये मांगे फिर कम करते हुए पहली बार चालीस हजार रूपये मांगे तो मैंने कुछ और कम करने को कहा तो फिर हैड साहब ने आखिर में तीस हजार रूपये लेना तय किया। जिसमे से थोड़े बहुत पैसे अब आ ॅनलाईन फा ॅन पे करने का बोला है।" जिस पर मन् कानि. ने उपरोक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही से जरिये व्हाट्सएप का ॅल निवेदन करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डिजीटल वा ॅईस रिका ॅर्डर डिवाईस चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी हैडकानि. के पास भेजने एवं आरोपी के कहेनुसार फोन-पे से राषि आ ॅनलाईन ट्रांसफर करने की हिदायत देकर परिवादी को अविलम्ब आरोपी के पास पुनः भेजा जावें। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के उपरोक्त निर्देषानुसार परिवादी को आवष्यक हिदायत दी जाकर पुनः आरोपी के पास आ ॅनलाईन फोन-पे से राषि ट्रांसफर करने हेतु रवाना किया गया तथा मन् कानि. सुरेषदान परिवादी के आने के इंतजार में पूर्ववत्त एक तरफ छुपाव हा ासिल करते हुए वहीं मुकिम रहा। कुछ ही समय पश्चात् परिवादी मेरे पास नियत स्थान पर बाद आरोपी से आ ॅनलाईन ट्रांजेक्षन कर उपस्थित आया जिससे मन् कानि. ने डिजिटल वा ॅईस रिका ॅर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर सुरक्षित हालात में कब्जा स्वयं लिया। तत्समय परिवादी श्री लीलाराम ने

बताया कि आपके पास से रवाना होकर कोर्ट परिसर सांचोर में श्री किषनाराम हैडसाहब के पास गया तो उन्होंने मेरे मोबाईल फा ॅन के माध्यम से खाता धारक श्री शैताना राम के फोन नंबर [redacted] पर जरिये फोन-पे पांच हजार रूपये आॅन लाईन ट्रांसफर करवाकर शेष पच्चीस हजार रूपये की लेन-देन अगले रोज सुबह करना तय किया। जिस पर पास खड़े परिवादी श्री लीलाराम देवासी से हालात जाने तो परिवादी ने श्री सुरेषदान कानि. नं. 470 के कथनों की पुष्टि की। पूछने पर परिवादी ने बताया कि कल के रोज आरोपी को रिष्वत के रूप में दी जाने वाली 25000 रू राषि की मेरे पास व्यवस्था हैं, जिस पर परिवादी को गोपनीय कारणों से मन निरीक्षक पुलिस के हमराह हैं साथ चलने की हिदायत दी गई। उपरोक्त हालात उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष निवेदन किये जाकर डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर मन् नि.पु. के कब्जे में सुरक्षित रखते हुए सत्यापन कर्ता कानि. श्री सुरेष दान एवं परिवादी श्री लीलाराम देवासी के उपरोक्त कथनों की तस्दीक करने के लिए डिजीटल वाॅइस रिकाॅर्डर में रिकाॅर्डेड मांग सत्यापन वार्ता को सुनना आवष्यक होने से किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लिया गया। मन कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय डिजीटल वाॅइस रिकाॅर्डर, ट्रेप बाॅक्स एवं आवष्यक उपकरण, सामग्री एवं स्टेषनरी ईत्यादि के हमराह के अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस वे पुल के नीचे सांचोर से सुन्धा माता तलहटी के लिए रवाना हुआ। मन कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एवं डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर, ट्रेप बाॅक्स एवं आवष्यक उपकरण, सामग्री एवं स्टेषनरी ईत्यादि के फिकरा उपरोक्त का रवानाषुदा मेघवाल समाज धर्मषाला सुन्धामाता तलहटी पहुंच मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर चालू कर हैड फाॅन के माध्यम से परिवादी श्री लीलाराम देवासी व आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. के मध्य आज के रोज हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं मांग सत्यापन पश्चात् आॅनलाईन राषि ट्रांसफर वार्ता को बारी-बारी से वार्तालापों के आॅडियो को फाॅरवर्ड-रिवर्स करके सुनकर सत्यापनकर्ता कानि. श्री सुरेषदान नं. 470 व परिवादी श्री लीलाराम देवासी के आरोपी के मांग द्वारा पचास हजार रू. की रिष्वती राषि की मांग कर तीस हजार रूपये की लेन-देन तय करने के पश्चात् परिवादी के मोबाईल फाॅन के माध्यम से आरोपी द्वारा खाता धारक श्री शैताना राम के फोन नंबर [redacted] पर पांच हजार रूपये आॅनलाईन ट्रांसफर करवाने ईत्यादि तथ्यों की पुष्टि हुई। जिस पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को निवेदन किये। दिनांक 27.11.2024 श्री रामेष्वर लाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्रीमति दीक्षा उदावत मकानि. नं. 436 व श्रीमति ईषु कुंवर मकानि नं.157 मय सरकारी बोलेरो मय कानि. चालक श्री गणेष लाल नं. 531 के मेघवाल समाज धर्मषाला सुन्धामाता तलहटी उपस्थित आये परिवादी श्री लीलाराम देवासी निवासी सांकड़ द्वारा श्री किषनाराम हैडकानि. के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही के लिए प्रस्तुत लिखित रिपाॅर्ट का अवलोकन किया जाकर परिवादी से आवष्यक पूछताछ कर जरूरी जानकारी प्राप्त की जाकर व मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस को आवष्यक हिदायत देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देष प्रदान किये। मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस ने कल दिनांक 26.11.2024 को हमराह लाये गये पटवारीगण श्री उदयवीरसिंह व श्री सुनिल कुमार मीणा को परिवादी द्वारा दिनांक 26.11.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढाया एवं कल के रोज ब्यूरो की डीवीआर में परिवादी श्री लीलाराम व आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि के मध्य रिकाॅर्डेड मांग सत्यापन वार्तालाप एवं मांग सत्यापन पष्चात् आॅनलाईन रिष्वती राषि ट्रांसफर वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंषों को डीवीआर में से हैडफोन के माध्यम से फाॅरवर्ड-रिवर्स कर सुनाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढकर एवं उपरोक्त वार्ताओं को सुनकर दोनों पटवारीगण ने आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. के विरूद्ध प्रस्तावित टे्प कार्यवाही में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा पूर्वक स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल होने की मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात्मौतबिरान के रूबरू मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस एसीबी सिरोही द्वारा परिवादी श्री लीलाराम निवासी सांकड़ पुलिस थाना सांचोर, जिला सांचोर से आरोपी श्री किषनाराम हैड कानि. पुलिस चौकी सांकड़, पुलिस थाना सांचोर, जिला सांचोर श्री को रिष्वत में दी जाने वाली रिष्वती राषि 25,000/- रूपये पेष करने का कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 50 नोट, कुल राषि 25,000/- रू. रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेष किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 0VL 798818 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 9FW 914685 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 9KF 289705 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 2BV 414822 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 8TN 456400 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 1GD 775313 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 6GW 522982 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 2KR 080269 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 3CQ 412140 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 0UU 495701 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 5QP 724339 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 2PV 730359 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 6WN 180514 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 7CS 779019 15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 1NU 579381 16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 4TL 723996 17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 0DE 542854 18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 6AE 927618 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 1VK 450464 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 8DG 143205

21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 5UK 693741 22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 3TT 292937 23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 6HG 923030 24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 0NQ 428339 25. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 0RD 597262 26. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 6FK 491603 27. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 4HK 967718 28. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 4GF 281489 29. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 5QP 786266 30. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 4UQ 403591 31. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 6KB 531574 32. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 1SN 902094 33. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 1LS 458300 34. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 4TF 477018 35. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 3LN 411405 36. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 4BR 559483 37. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 0NV 138160 38. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 1AD 763515 39. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 2GV 903028 40. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 2FS 909634 41. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 8KK 718970 42. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 7LR 412416 43. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 2EF 992541 44. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 8UB 915233 45. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 1FA 232589 46. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 8TH 826946 47. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 9KP 425202 48. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 2HE 146398 49. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 4EQ 489906 50. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर- 7DA 623819 ट्रेप दल के साथ लाए गए एसीबी सिरोही के ट्रेप बाॅक्स में रखी फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री गणेश लाल चालक कानि.561 से निकलवाई जाकर उक्त 25,000/- रू. के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर श्री गणेश लाल चालक कानि. 561 से हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री लीलाराम की जामा तलाशी गवाह श्री सुनील कुमार मीणा पटवारी से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री लीलाराम के पहनी हुई पैण्ट के दांहिनी साईड की जेब में श्री गणेश लाल चालक कानि. 561 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को छुऐ नहीं आरोपी श्री किशनाराम हैडकानि. के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे आवश्यक हो तो दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार अभिवादन करें। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् निरीक्षक पुलिस या सत्यापनकर्ता श्री सुरेशदान कानि. नं. 470 के मोबाईल पर मिसकाॅल/काॅल करके लेन-देन हो जाने का गोपनीयता पूर्वक सांकेतिक ईशारा करें। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी साफ डिस्पाॅजल गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में रिश्वती राशि के नोटों पर फिनाॅफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेश लाल चालक कानि. 561 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को यह समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के उक्त गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर प्लास्टिक डिस्पाॅजल गिलास एवं नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री गणेश लाल चालक कानि. 561 से वापस ट्रेपबाॅक्स में रखवाई गई। श्री गणेश लाल चालक कानि.561 तथा समस्त टे्प पार्टी के सदस्यों, गवाहों के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। ट्रेप दल में सदस्यों की कमी के चलते नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेश लाल चालक कानि. 561 को बरामदगी स्ाापिल पर ट्रेप पार्टी में शरीक नहीं होने की हिदायत दी गई। तपष्चात् रूबरू परिवादी श्री लीलाराम देवासी पुत्र श्री दरगाराम जाति देवासी उम्र 39 वर्ष पैषा खैती निवासी गांव सांकड़ पुलिस थाना एवं जिला सांचोर ने वक्त 4.55 पी.एम. पर पुलिस थाना सांचोर के बाहर बांये कोने पर राष्ट्रीय राज मार्ग 68 से पष्चिम की तरफ पुलिस थाना सांचोर के समानान्तर जैन दादाबाडी काॅलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर नीम के पेड़ के नीचे बावर्दी आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. के साथ खडे़-खडे़ रिष्वती राषि लेन-देन उपरान्त अपने दांहिने कान को तर्जनी अंगुली से खुजालकर पूर्व

निर्धारित गोपनीय ईशारा किया गया। जिस पर पुलिस थाना सांचोर के बांयी तरफ बगल में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 68 के बांयी तरफ वन विभाग कार्यालय के मुख्य गेट के आगे खडे हुए मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस व हमराह मौतबिरान ने परिवादी के गोपनीय ईशारे को देखकर मन निरीक्षक पुलिस एवं आरोपी व परिवादी के मध्य एडवांस पार्टी के रूप में खड़े श्री सुरेषदान कानि. नं. 470 व साथी जाब्ता को आरोपी व परिवादी के मध्य रिष्वती राषि लेन-देन हो जाने का ईषारा कर आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. को दस्तयाब करने हेतु आरोपी को नजरों में रखते हुए उसके पीछे-पीछे जाने का ईषारा कर मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान श्री सुनिल कुमार मीणा एवं श्री उदयवीरसिंह पटवारीगण को साथ लेकर आरोपी के पीछे-पीछे पुलिस थाना परिसर सांचोर में प्रविष्ट हुऐ इस दरम्यान मन् निरीक्षक पुलिस ने श्रीमती ईषुकंवर म.कानि. नं. 157 से श्री चेलाराम हैडकानि के निजी मोबाईल में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई गई व श्रीमती दीक्षा उदावत मकानि. को बैकअप पार्टी के तौर पर टेªप दल में शामिल श्री रामेष्वर लाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को आरोपी व परिवादी के मध्य रिष्वती राषि का लेन-देन हो जाने की जरिये दूरभाष ईतला देने बाबत् हिदायत दी गई। पुलिस थाना सांचोर के भवन के मुख्य द्वार में प्रविष्ट होते ही बांयी तरफ आगन्तुकों के लिये रखे सोफे के पास आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. को एडवांस पार्टी के साथ मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान रोककर अपना व हमराहियान का परिचय देकर आरोपी को रोकने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए आरोपी से उसका परिचय पूछा तो बावर्दी आरोपी ने अपना नाम किषनाराम पदनाम हैडकांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना सांचोर में पदस्थापित होना बताया। जिसको तसल्ली देकर स्वतंत्र गवाह श्री उदयवीरसिंह पटवारी से तलाषी आरोपी की जामा तलाषी लिवाई गई तो आरोपी हैडकानि. के पहनी हुई वर्दी के खाकी पेन्ट के बांयी जेब में रखी 25,000 रू. की रिष्वती राषि के पांच-पांच सौ रूपये के कुल 50 नोट बरामद हुए उक्त नोटों का पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेषकषी रिष्वती राषि एवं दृष्टांत फिनाॅफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटों के नंबरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान की मदद से परिवादी व आरोपी के रूबरू किया गया तो बरामदा सभी नोटों के नंबर मुताबिक फर्द पेषकषी रिष्वती राषि एवं दृष्टांत फिनाॅफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट के हूबहू पाये गये। जिस पर बरामदा नोट स्वतंत्र गवाह श्री उदयवीरसिंह पटवारी के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पष्चात् आरोपी हैडकानि. से पास ही खड़े परिवादी को पहचानने के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि "हां मैं इनको पहचानता हुं इनका नाम लीलाराम है, सांकड़ के रहने वाले है, मेरे पास इनका कोई कार्य पैण्डिंग नहीं है," जिस पर आरोपी को परिवादी से पच्चीस हजार रूपये प्राप्त करने बाबत् पूछा तो आरोपी हैडकानि. ने बताया कि मैं भी सांकड़ चौकी पर हुं और ये भी सांकड़ के रहने वाले है, ये पैसे मैंने इनसे किसी को देने के लिए है।" जिस पर आरोपी द्वारा दिनांक 26.11.2024 को परिवादी श्री लीलाराम से पांच हजार रूपये किसी अन्य के खाते में करवाने के कारण बाबत् पूछा तो आरोपी हैडकानि. ने बताया कि "मैने कल श्री लीलाराम से कोई पांच हजार रूपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर नहीं करवाये हैं।" जिस पर आरोपी हैडकानि. को प्रकरण संख्या 421/2024 का अनुसंधान क्या आपके द्वारा किया जा रहा हैं पूछा गया तो आरोपी हैडकानि. ने बताया कि "प्रकरण संख्या 421/2024 की जांच मेरे पास हैं जिसमें श्री लीलाराम का कोई कार्य लम्बित नहीं हैं।" तत्पष्चात मौके पर ही आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पुलिस थाना सांचोर में रखे पानी के कैम्पर में से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झांईदार हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झांईदार हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात् आरोपी हैडकानि. के वर्दी की पेन्ट के बांयी जेब मे से रिष्वती राषि बरामद होने पर उक्त वर्दी के पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से आरोपी की कार में रखे सादा वस्त्र लोअर टी-षर्ट मंगवाकर कपडे बदलवाये जाकर वक्त वाका घटना स्थल आरोपी के पहनी हुई खाकी वर्दी पेन्ट जिसकी कमर बैल्ट के अन्दर की तरफ ज्ञण् च्ण् ज्।स्व्त् श्रक्त् डण् [redacted] लिखा हुआ पाया गया। तत्पष्चात् पूर्ववत् उक्त खाकी पेन्ट के बांयी जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-दो चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई खाकी पेन्ट की बांयी जेब को उलटवाकर तीन-चार बार डुबोकर रूबरू गवाहान धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झांईदार हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त

घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। बाद खाकी पेन्ट को पुलिस थाना सांचोर के एक कक्ष में पंखे के नीचे सुखाकर उक्त खाकी पेन्ट की बांयी जेब पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त खाकी पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर भी संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाए जाकर इस पर मार्क-पी अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पष्चात पुलिस थाना सांचोर के मुख्य गेट पर भीड़-भाड़ ज्यादा हो जाने से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना सांचोर के एस.एच.ओ. कक्ष में पंहुच थाना प्रभारी श्री अमृतलाल उ.नि.पु. से आरोपी हैड कानि. से ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना सांचोर के कक्ष में करने की मौखिक अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए स्वतन्त्र गवाह श्री उदयवीरसिंह पटवारी जिन्हें पूर्व में बरामदा रिष्वती राषि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 50 नोट, कुल राषि 25,000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री सुनिलकुमार मीणा पटवारी को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेषकषी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेषकषी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेषकषी के मुताबिक पाये गये। उक्त राषि को एक सफेद कपडे◌़ की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-ड अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पष्चात् मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान परिवादी की निषांदेही पर बरामदगी स्थल का नजरी नक्षा मौका मुर्तिब किया जाकर फर्द शामिल मिषल की गई। तत्पष्चात् श्री लीलाराम देवासी एंव आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. के मध्य दिनांक 26.11.2024 को हुई रिष्वती राषि मांग सत्यापन, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वती राषि मांग-सत्यापन वार्तालाप एवं दिनांक 27.11.2024 को हुई रिष्वती राषि लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा परिवादी श्री लीलाराम देवासी एंव आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. के मध्य दिनांक 26.11.2024 को हुई रिष्वती राषि मांग सत्यापन वार्ता, मांग सत्यापन पश्चात् ◌ंआ◌ॅनलाईन राषि ट्रांसफर वार्ता एवं दिनांक 27.11.2024 को हुई रिष्वती राषि लेन-देन वार्ताएं जो◌े डिजीटल वा◌ॅईस रिका◌ॅर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिका◌ॅर्डेड है, उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वा◌ॅईस रिका◌ॅर्डर में से निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर उक्त थैली पर मार्क-।ड अंकित किया जाकर उस पर संबन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय लैपटा◌ॅप के माध्यम से श्री सुरेषदान कानि नं. 470 के माध्यम से परिवादी श्री लीलाराम देवासी एंव आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. के मध्य दिनांक 26.11.2024 को हुई रिष्वती राषि मांग सत्यापन, रिष्वती राषि मांग सत्यापन पश्चात् आ◌ॅनलाईन राषि ट्रांसफर एवं दिनांक 27.11.2024 को हुई रिष्वती राषि लेन-देन वार्तालाप के महत्वपूर्ण अंषों को आरोपी हैडकानि. श्री किषनाराम की आवाज की पहचान करवाने के लिए आरोपी के साथ पुलिस थाना सांचोर में पदस्थापित तलबषुदा श्री गंगाप्रसाद उनिपु व श्री जबर सिंह हैडकानि. 404 को सुनाये गये जिसमें दोनों साथी पुलिस अधिकारीयों ने उपरोक्त रिकोर्डेड वार्ताओं में एक आवाज श्री किषनाराम हैडकानि. की होने की पुष्टि की तथा अन्य व्यक्ति के आवाज को पहचानने से इंकार किया। तत्पष्चात् आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. पुलिस थाना सांचोर द्वारा लोक सेवक होते हुए परिवादी श्री लीलाराम देवासी एवं उसके भाईयों के विरूद्ध पुलिस थाना सं◌ाचैर में दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में परिवादी से अवैध रूप से पच्चास हजार रू. की रिष्वत मांगकर दिनांक 26.11.2024 को वक्त मांग सत्यापन तीस हजार रू. परिवादी से रिष्वत के रूप में प्राप्त करना तय कर उसी रोज पांच हजार रूपये अपने परिचित के खाते में आ◌ॅनलाईन फोन पे ट्रांसफर करवाकर दिनांक 27.11.2024 को वक्त लेन-देन परिवादी श्री लीलाराम देवासी से शेष रिष्वती राषि पचीस हजार रूपये प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के कृत्य से आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी श्री किषनाराम पुत्र श्री भलुराम, जाति बिष्नोई, उम्र 47 साल, निवासी वाड़ा भाडवी पुलिस थाना बागोड़ा, जिला सांचोर हाल हैड कानि. पुलिस थाना सांचोर को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर आरोपी हैडकानि को मन् ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35(1)(ख)(पप) में वर्णित प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी के कारणों की चैक लिस्ट मुर्तिब कर जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार उसके सगे भाई राजूराम को जरिये दूरभाष दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि. का राजकीय चिकित्सालय सांचोर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। इस समय मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस फिकरा उपरोक्त का रवानाषुदा हमराही जाब्ते के साथ गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि का स्वास्थ्य परीक्षण डा◌ॅ. भैराराम पी.एम.ओ. राजकीय चिकित्सालय सांचोर से उनके आवास पर करवाया जाकर पुलिस थाना सांचोर हाजिर आया। चिकित्सकीय परीक्षण रिपा◌ॅर्ट में आरोपी श्री किषना राम हैडकानि पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया गया। मेडिकल रिपा◌ॅर्ट का अवलोकन कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात् परिवादी श्री लीलाराम देवासी एवं उसके भाईयों के खिलाफ अपने पड़ौसी श्री मुकनाराम पुत्र श्री रामचन्द्र राम जाति बिष्नोई के साथ मारपीट करने पर

उनके द्वारा पेष षिकायत पर पुलिस थाना सांचोर में दर्ज प्रकरण के बारे में डयूटि अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपाॅर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की गई तो परिवादी के उपरोक्त पडौसी द्वारा उनके विरूद्ध पुलिस थाना सांचोर में प्रकरण संख्या 421/2024 दर्ज होना पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी हैड कानि. के पास परिवादी श्री लीलाराम देवासी का कार्य लंबित होना पाया गया। बाद अवलोकन उपरोक्त प्रथम सूचना रिपाॅर्ट की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात् सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देषन में श्री चेलाराम हैडकानि. नं. 109 के निजी मोबाईल फोन में नई मैमोरी कार्ड डलवाई जाकर श्रीमति ईषु कुंवर मकानि. नं. 157 के द्वारा रिष्वती राषि बरामदगी, पूछताछ आरोपी व नक्षा मौका घटना स्थल निरीक्षण ईत्यादि की विडियोग्राफी करवाई गई। विडियोग्राफी मे प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड श्री चेलाराम हैडकानि. नं. 109 के निजी मोबाईल फोन में से रूबरू गवाहान मन निरीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान निकलवाया जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर उक्त थैली पर मार्क-टत् अंकित किया जाकर उस पर संबन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये कब्जा ब्यूरो लिया जाकर सुरक्षार्थ श्री चैलाराम हैडकानि को सुपुर्द कर ट्रेपबाॅक्स में रखवाई गई। उक्त कार्यवाही की पृथक् से फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप प्रकरण में अब तक की कार्यवाही के दौरान वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिये गये उपरोक्त वर्णित समस्त प्रार्दषों को ब्यूरो के मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैडकानि. नं. 109 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द कर अपने पास ट्रेप बाॅक्स में सुरक्षित रखवाकर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पहंुचने पर सुरक्षित रूप से मालखाना में रखकर तदनुसार विवरण मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करने की हिदायत दी गई। आरोपी श्री किषनाराम हैडकानि के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में गवाह पटवारीगण श्री सुनिल कुमार मीणा व श्री उदयवीर सिंह व परिवादी श्री लीलाराम देवासी की आवष्यकता नहीं होने से मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस ने अपने गंतव्य के लिए फारिक किये गये। उपरोक्त हालात से आरोपी श्री किशनाराम पुत्र श्री भलुराम जाति विश्नोई, उम्र 47 साल, पैशा नौकरी, निवासी वाडा भाडवी, पुलिस थाना बागोडा जिला सांचोर हाल हैडकानिं. नं. 76, पुलिस थाना सांचोर जिला सांचोर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री लीलाराम देवासी से उनके व उनके भाई श्री सांवलाराम के विरूद्ध पुलिस थाना सांचोर में दर्ज मारपीट के मामले में मेरे भाई सांवलाराम को गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ मारपीट नहीं करने की ऐवज में आरोपी द्वारा दिनांक 26.11.2024 को परिवादी से 50,000 रू की मांग कर 30,000 रिश्वती राशि लेना तय होना तथा 5,000 रू आॅनलाईन ट्रांसफर करवाना तत्पशचात् दिनांक 27.11.2024 को आरोपी श्री किशनलाल हैडकानि. द्वारा शेष 25000 रू रिश्वती राशि पुलिस थाना सांचोर के बाहर परिवादी से 25000 रू रिश्वती राशि प्राप्त करते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री किशनाराम पुत्र श्री भलुराम जाति विश्नोई, उम्र 47 साल, पैशा नौकरी, निवासी वाडा भाडवी, पुलिस थाना बागोडा जिला सांचोर हाल हैडकानिं. नं. 76, पुलिस थाना सांचोर जिला सांचोर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेष फरमावें। भवदीय (कुयाराम) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही, ...कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री किशनाराम पुत्र श्री भलुराम उम्र 47 साल, निवासी वाडा भाडवी, पुलिस थाना बागोडा जिला सांचोर हाल हैडकानिं. नं. 76, पुलिस थाना सांचौर जिला सांचौर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 410 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1522-25 दिनांक 28-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः−1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2 पुलिस अधीक्षक सांचौर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Arvind Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/11/2024 20:33:12

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)